The Uttar Pradesh Bhumi-Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1971

Act 21 of 1971

Keyword(s):
Land, Amendment

Amendment appended: 6 of 1978

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135604

L.A.15/71.21
cop.2

(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1971)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 11 अगस्त, 1971 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में 12 अगस्त, 1971 की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 22 अगस्त, 1971 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में दिनांक 22 अगस्त, 1971 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलाएगा । संक्षिप्त नाम

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 21 जुलाई, 1971 का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 ई० की धारा 1 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की उपधारा (2) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई क्षेत्र जो 7 जुलाई, 1949 को किसी म्युनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत था, उक्त दिनांक के पश्चात्, किसी भी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो

(1) ऐसी दशा में जब वह 29 जून, 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून, 1971 से होगा ; और

(2) किसी अन्य दशा में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक से होगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय ।"

नई धारा 122-ग और 123 का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 122-ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात्--

अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतिहर मजदूरों आदि के लिए आबादी के स्थलों के निमित्त भूमि का प्रदेशन ।

"122-ग--(1) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर, स्वत: अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प पर निम्नलिखित वर्गों की भूमि में से किसी वर्ग की भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों और खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के निमित्त आबादी के स्थलों की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है :--

(क) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में अभिदिष्ट और उक्त धारा के अधीन गांव सभा में निहित भूमि ;

(ख) धारा 194 के अधीन अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आने वाली भूमि ;

(ग) कोई अन्य भूमि जो धारा 13, धारा 14, धारा 163, धारा 186 या धारा 211 के अधीन खाली समझी जाय अथवा खाली हो जाय ;

(घ) यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थल के रूप में आरक्षित भूमि उसके द्वारा अपर्याप्त समझी जाय, और उक्त अधिनियम के अधीन अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट भूमि उपलब्ध हो, तो इस प्रकार उपलब्ध भूमि का कोई भाग ।

(2) इस अधिनियम की धारा 122-क, 195, 196, 197 और 198, या यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 4, 15, 16, 28-बी और 34 में किसी बात के होते हुए भी, भूमि प्रबन्धक समिति परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (3) में अभिदिष्ट व्यक्तियों के निमित्त गृहों के निर्माणार्थ,--

(क) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भूमि;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थलों के रूप में आरक्षित कोई भूमि ;

(ग) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (6) में अभिदिष्ट और गांव सभा में निहित कोई आबादी का स्थल ;

(घ) उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जित कोई भूमि ;

प्रदिष्ट कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रदेशन किये जाने में निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुपालन किया जायगा:--

(1) कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो;

(2) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो;

(3) कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो ।

स्पष्टीकरण--(1) पद "खेतिहर मजदूर" का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है ।

(2) पद "ग्रामीण शिल्पकार" में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी या मोची शामिल हैं ।

(3) उस व्यक्ति को अधिमान्यता दी जायगी जिसके पास या तो कोई गृह न हो अथवा उसके परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए आवास-व्यवस्था अपर्याप्त हो ।

(4) यदि परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि भूमि प्रबन्धक समिति ने उपधारा (2) के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन या अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं किया है, अथवा ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या इष्टकर है, तो वह स्वयं ऐसी भूमि को उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार प्रदिष्ट कर सकता है ।

(5) इस धारा के अधीन प्रदिष्ट कोई भूमि प्रदेशन गृहीता द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत की जायेगी ।

(6) कलेक्टर स्वतः इस धारा के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच कर सकता है और प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर नियत रीति से जांच करेगा, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है, तो वह प्रदेशन को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात् प्रदिष्ट की गई भूमि में प्रदेशन गृहीता और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ।

(7) उपधारा (4) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उपधारा (6) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और धारा 333 के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(8) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः या उसे तदर्थ कोई प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, उपधारा (2), उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन अथवा दिए गए अन्य आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् उस भूमि का कब्जा प्रदेशन गृहीता या गांव सभा को देने का निदेश दे सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

कतिपय गृह के स्थलों का बन्दोबस्त उसके विद्यमान स्वामियों के साथ किया जायगा ।

123--धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने उक्त धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि न हो, कोई गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 24 मई, 1971 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत किया जायगा ।";

धारा 128 का संशोधन

4--मूल अधिनियम को धारा 128 में, उपधारा (2) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्--

"(ङ) धारा 122-ग के अधीन भूमि प्रदिष्ट करने की प्रक्रिया;

(ङङ) वे प्रतिबन्ध तथा शर्तें जिन पर धारा 122-ग के अधीन प्रदिष्ट भूमि या धारा 123 में अभिदिष्ट भूमि धृत की जायेगी ;"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1957 की धारा 1 का संशोधन

5--उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 1 को उपधारा (2) में उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड अन्त में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई क्षेत्र 7 जुलाई, 1949 के पश्चात्, यथास्थिति, किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत न रह जाय और धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में--

(1) उस दशा में जब वह 29 जून, 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून, 1971 से समाप्त हो जायगा; और

(2) किसी अन्य दशा में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र म उस दिनांक से समाप्त हो जायगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।"

अध्याय 4

निरसन

उत्तर प्रदेश, अध्यादेश संख्या 8, 1971 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1971 का निरसन

6--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1971 और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--96 जनरल (लेग०)--1972--1,834+50 (मे०)।

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

156227

L.A.
15/78.6
Cap. 2

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1978]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 20 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1–खण्ड (क) में दिनांक 22 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, 1963 और यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का अग्रतर संशोधन करने, और उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

प्रारम्भिक

अध्याय-एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 21 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3 खण्ड (क) देखिये]

PRICE 25 PAISE

PRICE [illegible] PAISE

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 143 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(3) जहां किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी अन्य निगम द्वारा ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी भूमि की प्रतिभूति पर कोई ऋण दिया गया हो, वहां इस अध्याय के उपबन्ध (इस धारा को छोड़कर) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे भूमिधर पर लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी स्वीय विधि से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।"

धारा 152 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 152 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और सदैव से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:—

"152 (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व आगे दी गयी शर्तों के अधीन भूमिधरी स्वत्व कब रहते हुए संक्रमणीय होगा।
संक्रमणीय होगा

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट भूमिधर, ऐसी परिस्थितियों में जो विहित की जायं, अपनी जोत में अपने स्वत्व को राज्य सरकार से तकावी के रूप में या किसी सहकारी समिति से या स्टेट बैंक आफ इंडिया से या ऐसे किसी अन्य बैंक से जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) के अर्थान्तर्गत अनुसूचित बैंक हो, या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है और अपनी जोत में, उस भाग को छोड़कर जो इस प्रकार बन्धक रखा गया हो, अपने स्वत्व को कृषि, उद्यानकरण और पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए दान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को संक्रमित भी कर सकता है।"

धारा 192 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 192 में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (1) में, खंड (ङ) में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायेगा।

नयी धारा 198-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 198 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"198-क—(1) जहां धारा 195 या धारा 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय, और प्रदेशनग्रहीता से भिन्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके और ऐसे प्रदेशनग्रहीता की सम्मति के बिना ऐसी भूमि पर काबिज हो, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रदेशनग्रहीता के आवेदन-पत्र पर, उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

गांव सभा के प्रदेशनग्रहीताओं को कब्जा दिया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदेशनग्रहीता द्वारा आवेदन-पत्र—

(क) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये प्रदेशन की स्थिति में ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, और

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसे प्रदेशन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर,

प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात्, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) कोई न्यायालय जो उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करे, उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी भाग से सरसरी तौर से बेदखल करने के लिये आदेश दे सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल किया जा सकेगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।"

7—मूल अधिनियम की धारा 247 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:— नयी धारा 247-क का बढ़ाया जाना।

"247-क (1) धारा 245, 246 और 247 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा 1 जुलाई, सन् 1977 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार को मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से छूट होगी। कतिपय दशाओं में मालगुजारी से छूट

(2) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, इस धारा के अधीन छूट का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा अवधारण ऐसे खाते के आगम से सम्बन्धित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा।

(3) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक मण्डल के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की जो उपधारा (1) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची तैयार करेगा जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से दिये जायेंगे, और जो ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित किये जायेंगे जो नियत किये जायं, और ऐसी सूची के संगत उद्धरण सम्बन्धित व्यक्तियों को वितरित करायेगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी खाते के लिये धारा 245, 246 और 247 के अधीन निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायेगी, और सभी अन्य प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और उसके अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उसके साथ संयुक्त हों, या नहीं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा और 1 जुलाई, सन् 1977 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:— धारा 294 का संशोधन

"(कक) प्राधिकारी जो धारा 247-क में उल्लिखित छूट के लिए हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ब्योरे जो ऐसी सूची में दिये जायेंगे, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिसके पूर्व उसे प्रकाशित किया जायगा, वह रीति जिसके अनुसार और समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज किये जाने से छूट गये किसी ब्योरे के लिये या दर्ज किये गये किसी ब्योरे के विरुद्ध आपत्तियां की जायेंगी और रीति जिसके अनुसार और प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बन्धित विषय;"।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 8-क में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 8-क की संशोधन

(एक) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(घ) प्रत्येक कटक के लिये मानक गाटा;"

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबन्दी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।"

अध्याय--चार

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, 1963 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1963 की धारा 2 का संशोधन

10--उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, 1963 की धारा 2 में,--

(क) खंड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(8-क) "बाग भूमि" का तात्पर्य भूमि के किसी ऐसे विशिष्ट टुकड़े से है जिस पर इतनी संख्या में वृक्ष लगाये गये हों कि उनसे या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी प्रचुर भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करना प्रवारित हो या हो जायगा, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्षों से बाग बन जायगा ;";

(ख) खण्ड (20) में, शब्द "बाग" निकाल दिया जायगा।

अध्याय--पाँच

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901 की धारा 44 का प्रतिस्थापन

11--यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"54--(1) इस अध्याय के अधीन मानचित्र और अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र शोधन, खेतवार पड़ताल और चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात्, नायब तहसीलदार ऐसे रजिस्टर में लिपिकीय भूलों और गलतियों को; यदि कोई हों, ठीक करेगा और सम्बद्ध खातेदार और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भिजवायेगा जिसमें चालू वार्षिक रजिस्टर और ऐसे अन्य अभिलेखों से जिन्हें विहित किया जाय, सुसंगत उद्धरण दिये जायेंगे, और जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व और उक्त उपधारा में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान पायी गयी भूलें और विवाद दिखाये जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसे अभिलेखों या उद्धरणों में प्रविष्टियों की शुद्धता या उनके प्रकार के सम्बन्ध में प्रतिवाद किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति भी उपधारा (5) के अनुसार विवाद का निबटारा होने के पूर्व नायब तहसीलदार के समक्ष, या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किये जाने के पूर्व सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष किसी समय आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार--

(क) जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायें, वहां सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे,

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश पारित करेगा।

(6) उन सभी मामलों के अभिलेख जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जायगा, जो उनका निस्तारण, यथास्थिति, धारा 40, 41 या 43 के उपबन्धों के अनुसार करेगा और जहां विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, वहां वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् करेगा।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाय कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहां वह ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(8) सहायक अभिलेख अधिकारी का प्रत्येक आदेश--

(क) जो उपधारा (6) के अधीन दिया गया हो, धारा 210 और 219 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा;

(ख) जो उपधारा (7) के अधीन दिया गया हो, व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में प्रस्तुत वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।"

अध्याय--छः

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1972 का निरसन

12--उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 को दिनांक 1 जुलाई, 1977 से निरसित किया जाता है।

अध्याय--सात

निरसन और अपवाद

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 3 सन् 1978

13--(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, धारा 7, 8 और 9 में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 87 सा० (विधा०)--7-7-78--(1112)--1978--1884+50 S.S. (मेक०)।